

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं-ल०सि०मो०-CM-e-dash-06/2020- 1199 (मौ०) /पटना, दिनांक- 15/6/2020
प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद।

विषय:-जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम-झुनाठी आहर-पईन सिंचाई योजना को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-ग्रामीण जनता-झुनाठी से प्राप्त आवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता, झुनाठी ने सूचित किया है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम-झुनाठी में आहर-पईन का जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर हैं परन्तु अतिक्रमणकारियों द्वारा आहर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस कारण पईन का जीर्णोद्धार होने के पश्चात् पानी का संचयन परस्पर नहीं हो पायेगा एवं खेतों की सिंचाई अपूर्ण रह जायगी।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना की जांच कर ली जाय। यदि योजना पर अतिक्रमण हो तो अंचलाधिकारी के कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment Act के तहत मुकदमा दायर करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1199 (मौ०)

/पटना, दिनांक- 15/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

14/6/20

श्रीमान. श्रीमान. (अ-52199)
 लघु जल संसाधन विभाग,
 सेवा में,

13 MAY 2020
 श्रीमान,

(प्रधान सचिव) मुख्यमंत्री बिहार/प्रधान सचिव लघु जल संसाधन

विभाग/जिलाधिकारी जहानाबाद/ कनीय अभियंता लघु जल संसाधन विभाग
 जहानाबाद /अंचलाधिकारी, जहानाबाद,

विषय :- जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्राम झुनाठी आहार
 पड़न सिचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य, आहार से अतिकर्मन
 मुक्त कराने हेतु,

महाशय,

सविनय निवेदन यह है की लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा ग्राम झुनाठी में आहार पड़न का
 जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसमें कार्य डाइ नदी से आहार संख्या 2293 तक पड़न जीर्णोद्धार
 कार्य पूर्ण हुआ आहार संख्या जिसका खाता संख्या 455 खेसरा संख्या क्रम सः 2293, 2295, एराजी 4
 एकड़ 97 डिसमिल, 5 एकड़ 12 डिसमिल है इस आहार से पड़न

संख्या 144,503, 1946 जिसका प्रगति पर जीर्णोद्धार प्रगति पर है परन्तु आहार 2293, 2295,
 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा है जिसके कारण डाइ नदी से निकलने वाले पड़न का
 जीर्णोद्धार होने के बावजूद आहार से जो भी पड़न निकला है उसके पानी जाने से वंचित रह जायेगा
 ओर इस कार्य से जल जीवन हरियाली अभियान से खेतों की सिचाई अपूर्ण रह जाएगी

अतः श्रीमान से निवेदन है की समय सीमा के ही अंतर्गत ही अतिकर्मन मुक्त करा
 कर आहार की जीर्णोद्धार करा कर किसानों के प्रति आभार प्रकट करने के कृपा की जाय

रिडुलि
 20/5

2043 (मोय)
 20-05-2020

आपका विश्वाशी

ग्रामीण जनता झुनाठी